लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.: *25
उत्तर देने की तारीखः 18.07.2017

अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां

*25. डॉ. उदित राजः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की राज्य-वार जनसंख्या कितनी है;

(ख) अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की शैक्षिक योग्यता, साक्षरता और रोजगार-दर संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन लोगों की शैक्षिक योग्यता, साक्षरता और रोजगार दर में वृद्धि करने हेतु कोई नई नीति लाने का प्रस्ताव है अथवा योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(श्री थावरचंद गेहलोत)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां" के संबंध में दिनांक 18.07.2017 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 25 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): विमुक्त, घुमन्तू और अर्धघुमन्तू जनजातियों की जनसंख्या, शैक्षिक योग्यता तथा रोजगार से संबंधित कोई प्रामाणिक आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ): सरकार ने राष्ट्रीय विमुक्त, घुमन्तू और अर्धघुमन्तू जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी) का गठन दिनांक 12.02.2014 को किया है। आयोग से विचारार्थ विषय के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित की अपेक्षा की जाती है :

(i) विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों से संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार करना,

(ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सूची में तथा अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची/राज्य सूची में विमुक्त तथा घुमन्तू जनजातियों से संबंधित जातियों की पहचान करना,

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सूची में तथा अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जिन विमुक्त तथा घुमन्तू जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है, से संबंधित जातियों की पहचान करना और इस प्रयोजनार्थ निर्धारित तौर-तरीकों के आधार पर इन सूचियों में समावेशन हेतु उनके मामले पर कार्रवाई करना,

(iv) डीएनटी के विकास हेतु उपयुक्त उपायों की पहचान करना।

सरकार ने 2014-15 से इनके सामाजिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए दो नई योजनाओं की शुरुआत की है। यह इस प्रकार हैं :

(i) **डीएनटी के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति** – यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2014-15 से उन डीएनटी छात्रों के कल्याण हेतु शुरू किया गया है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत कवर नहीं होते हैं। पात्रता हेतु आय सीमा 2.00 लाख रुपए वार्षिक है तथा यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। केन्द्र और राज्यों द्वारा व्यय की राशि को 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है। योजना के तहत छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं:

i) **डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति**

क्र.सं.	मानक	दर
1.	कक्षा I से VIII	दस माह के लिए प्रति छात्र प्रति माह 100 रुपये
2.	कक्षा IX से X	दस माह के लिए प्रति छात्र प्रति माह 150 रुपये

ii) डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

विभिन्न मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के तहत छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दर 380-1200 रुपये प्रति माह है। दिवा छात्रों के लिए यह दर 230-550 रुपये प्रति माह है।

वर्ष	संशोधित अनुमान (करोड़ रुपये में)	जारी राशि (करोड़ रुपए में)	छात्रों की संख्या
2014-15	4.00	3.50	3.76 लाख
2015-16	4.50	4.50	2.59 लाख
2016-17	4.50	4.50	3.61 लाख

टिप्पणी : इन आंकड़ों में राज्य सरकार की डीएनटी योजनाओं से लाभान्वित छात्रों की संख्या भी शामिल है।

(ख) **डीएनटी बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की नानाजी देशमुख योजना-** यह भी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जो वर्ष 2014-15 में आरंभ की गई तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य डीएनटी के उन छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछडा वर्ग के तहत कवर नहीं किए गए हैं ताकि वे माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। पात्रता हेतु आय सीमा 2.00 लाख रुपये वार्षिक है।

सरकार प्रतिवर्ष अधिकतम 500 सीटों के लिए छात्रावास में प्रति सीट 3.00 लाख रुपये प्रदान करेगी। केंद्र तथा राज्य इस राशि को 75:25 के अनुपात में साझा करेंगे। फर्नीचर के लिए प्रति सीट 5000/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार, 100 सीटों के लिए लागत 3.05 करोड़ रुपए आती है (छात्रावास निर्माण में 3.00 करोड़ रुपए प्रति 100 सीट और 100 सीटों के लिए फर्नीचर हेतु 5.00 लाख रुपए)।

अब तक, किसी भी राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****